सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 181 **14 Falgun, 1939 (S)**

Ranchi, Monday, 5th March, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

28th February, 2018

NOTIFICATION No-4/2018 State Tax (Rate)

S.O. No. 19 Dated - 5th March, 2018 -- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely :-

(a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and

(b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay state tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause(a) above and in the form of development rights referred to in clause(b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

2. This notification shall be deemed to be effective from 25th January, 2018.

[File.No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी, 2018

अधिसूचना सं० 4/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ- 19 दिनांक 5 मार्च, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात :-

(क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत:, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और

(ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत: विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर राज्य कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है ।

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 181-- 50.